भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 349*

(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्यान्वयन

***349. श्री राजू बिष्ट:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 2019 से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) पीएमजीएसवाई योजना के तहत वर्ष 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई हैं; और

(ग) पीएमजीएसवाई के तहत दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के लिए ब्लॉक-वार आवंटित धनराशि सहित निर्मित/निर्माणाधीन और प्रगतिशील परियोजनाओं और सड़कों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को जवाब दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 349 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत, वर्ष 2019 से पश्चिम बंगाल राज्य को 4,237 किलोमीटर लंबाई की कुल 562 सड़कें और 26 पुल स्वीकृत किए गए हैं। इस अवधि के दौरान , राज्य द्वारा पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों /घटकों के तहत 5,743 किलोमीटर लंबाई की 1,921 सड़कों और 54 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसमें पूर्व में स्वीकृत कार्यों को पूरा करना भी शामिल है।

(ख) पीएमजीएसवाई के तहत वर्ष 2019 से, दार्जिलिंग में 110 किलोमीटर लंबाई की कुल 14 सड़कें एवं 1 पुल और कलिम्पोंग जिले में 66 किलोमीटर लंबाई की 9 सड़कें और 2 पुल स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में सितंबर 2024 में पीएमजीएसवाई के चरण I V को आरंभ किया है, ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 100+ आबादी वाली 25,000 संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़को से जोड़ा जा सके। पीएमजीएसवाई-I V के पूरा होने की समय -सीमा मार्च 2029 है। मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ गहन समन्वय कर रहा है तथा योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग) पीएमजीएसवाई के तहत वर्ष 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के संबंध में स्वीकृत, पूर्ण और चल रही परियोजनाओं / सड़कों का व्यय सहित ब्लॉक-वार विवरण निम्नानुसार है:-

पीएमजीएसवाई के तहत दार्जिलिंग जिले के लिए परियोजनाओं का ब्लॉक-वार विवरण

(सड़क की लंबाई किलोमीटर में तथा व्यय ₹ करोड़ में)

ब्लॉक का नाम	स्वीकृत			पूर्ण किए गए			शेष@			व्यय (राज्य अंश सहित)
	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई	पुल	
दार-पुलबाजार	3	36	0	0	0	0	3	36	0	0
जोरेबंगलो-सुखियापोखरी	4	25	1	2	8	1	2	16	0	14
कुर्सियांग	3	18	0	0	0	0	3	18	0	0
मिरिक	2	9	0	0	0	0	2	9	0	0
रंगली रंगलियोट	2	22	0	0	0	0	2	22	0	0
कुल	**14**	**110**	**1**	**2**	**8**	**1**	**12**	**101**	**0**	**14**

@ स्वीकृत और पूरी हुई सड़क की लंबाई के बीच शेष लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जो सड़क की लंबाई में कमी, मार्ग परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा कुछ हिस्से की लंबाई का निर्माण, आदि के कारण हो सकती है।

पीएमजीएसवाई के तहत कलिम्पोंग जिले के लिए परियोजनाओं का ब्लॉकवार विवरण

(सड़क की लंबाई किलोमीटर में तथा व्यय ₹ करोड़ में)

ब्लॉक का नाम	स्वीकृत			पूर्ण किए गए			शेष@			व्यय (राज्य अंश सहित)
	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई	पुल	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई	पुल	
गरुबथान	3	27	0	0	0	0	3	27	0	0
कलिम्पोंग	2	14	2	0	0	1	2	14	1	4
लावा	2	14	0	0	0	0	2	14	0	0
पेडोंग	2	11	0	0	0	0	2	11	0	0
कुल	**9**	**66**	**2**	**0**	**0**	**1**	**9**	**66**	**1**	**4**

@ स्वीकृत और पूरी हुई सड़क की लंबाई के बीच शेष लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जो सड़क की लंबाई में कमी, मार्ग परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा कुछ हिस्से की लंबाई का निर्माण, आदि के कारण हो सकती है।

पीएमजीएसवाई के तहत केन्द्रीय निधियां राज्य सरकारों को एकल इकाई के रूप में जारी की जाती हैं। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इन निधियों को राज्य अंश के साथ जिला और उप-जिला स्तर पर जारी करे। पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर की जाती है और यह अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों के पास शेष कार्यों , राज्य की कार्य निष्पादन क्षमता , राज्य के पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधियां और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निर्भर करता है।

पीएमजीएसवाई के तहत 2019 से, पश्चिम बंगाल राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में 1,962.81 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और राज्य ने 4,611.19 करोड़ रुपये (राज्य अंश सहित) का व्यय किया है। दार्जिलिंग जिले में राज्य ने 14 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि कलिम्पोंग जिले में अब तक 4 करोड़ रुपये खर्च हुए है।

पीएमजीएसवाई-।।। के कार्यों को पूरा करने की समय सीमा मार्च, 2025 है।

*****